जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के समक्ष

जागीर सिंह और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

आपराधिक विविध. न 2006 का 1480/एम

14 सितंबर, 2006

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973– धारा 202 और 203- शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी और धोखा के आरोपों को साबित करने में असफल रहा- मजिस्ट्रेट ने धारा 202 के तहत मांगी गई पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतकर्ता के नेतृत्व में प्रारंभिक सबूतों पर विचार करने के बाद एक विस्तृत आदेश द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया- एफ.आई.आर और पिछली शिकायत में आरोप शब्दशः समान थे - शिकायतकर्ता द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी पिछली शिकायत को खारिज करने के तथ्य का कोई खुलासा नहीं किया गया - मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम हो गया क्योंकि पुनरीक्षण में शिकायतकर्ता द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई - एक बार जब मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान लिया जाता और अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किया

जाता है , तो उसके बाद मामले की जांच और पंजीकरण के लिए धारा 156(3) के तहत शिकायत को संदर्भित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - एफ.आई.आर को उन्हीं आरोपों पर और उन्हीं द्रव्यों पर दर्ज करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है - याचिका को अनुमति दी गई, एफ.आई.आर के साथ-साथ परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाता है।

यह अभिनिर्णित है, कि समान तथ्यों और सबूतों के आधार पर, जांच केंद्र द्वारा दिये गये निष्कर्ष, जेए.म.आई.सी द्वारा दिये गये निष्कर्ष से अलग है, और जे.ए.म.आई.सी ने यह कहते हुए शिकायत को खारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने कथित अपराध किया। उक्त आदेश अंतिम हो गया था क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में इसे चुनौती नहीं दी गई थी। मेरी राय में, जब जेएमआईसी ने संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला की शिकायत में लगाए गए आरोप और रिकॉर्ड पर पेश की गई सामग्री धोखाधड़ी और धोखे के आरोपों को साबित नहीं करती, तो शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों, सामग्री या सबूतों में कोई बदलाव किए बिना बिल्कुल उन्हीं आरोपों पर दूसरी शिकायत दर्ज करना और ऐसी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना और चालान दाखिल करना और यहां तक कि उक्त सामग्री के आधार पर आरोप तय करना भी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

(पेरा 11)

आगे अभिनिर्णित किया गया है कि समान आरोपों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने और उस पर विचार करने के संबंध में कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दर्ज दूसरी शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था। यदि न्यायिक दंडाधिकारी को इन तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर विचार करने से रोक लगायी गई है तो, मेरी राय में, बिल्कुल समान आरोपों पर ऐसी शिकायत के आधार पर, पुलिस द्वारा ना तो एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहे थी और ना ही न्यायालय को पुलिस ने उक्त एफआईआर में जो चालान दाखिल किया गया था उस पर संज्ञान लेना चाहिए था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एफआईआर का दर्ज होना और उसके बाद कार्यवाही करना न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है।

(पेरा 17)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णित किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर की गई पिछली शिकायत पर न केवल मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का भी पालन किया। उन्होंने संहिता की धारा 202(1) के तहत पुलिस रिपोर्ट मांगी और शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य को भी दर्ज किए। इसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे क्योंकि शिकायतकर्ता अभियुक्त ने कथित अपराध को साबित करने

में विफल रही। ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट के पास भी मामले की जांच और पंजीकरण के लिए संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को संदर्भित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि यही स्थिति है, तो समान आरोपों पर पुलिस कैसे धारा 156 के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच कर सकती है और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि समान आरोपों और समान सामग्री से *प्रथम दृष्टया* संज्ञेय अपराध बनता

(पेरा 19)

आर.एस. ममली- याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

प्रताप सिंह- सीनियर डी.ए.जी, हरियाणा।

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल,

1. इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर, कथित अपराध के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है - जब उक्त व्यक्ति ने पहले ठीक उन्हीं आरोपों पर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की थी, और मजिस्ट्रेट ने उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता (बाद में संहिता के रूप में संदर्भित) की धारा 202 के तहत पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त कर और प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज करने के बाद, संहिता की धारा 203 के तहत इसे यह देखने के बाद ख़ारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता कथित अपराध को सिद्ध करने में विफल रहा है - और क्या ऐसी शिकायत पर फिर से एफआईआर दर्ज करना और उस पर कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा और उसे रद्द किया जाएगा।

2. उपरोक्त प्रश्न पर विचार करने से पहले, इस मामले के कुछ तथ्य देना आवश्यक है।

3. 20.5.2002 को, बलबीर सिंह (यहां प्रतिवादी संख्या 2) ने याचिकाकर्ता जगीर सिंह और उसके बेटे राजू के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगाधरी के समक्ष धारा 323 / 406 / 419 / 420 / 467 / 504 आई.पी.सी के तहत शिकायत दर्ज की। उक्त शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

शिकायतकर्ता का याचिकाकर्ता नंबर 1 के साथ व्यापारिक लेन-देन था, जो बिजली मरम्मत का व्यवसाय करता था। वर्ष 1999 में, दोनों याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता के गांव में स्थित घर में गए और उसे प्रलोभन दिया कि यदि वह 3,00,000/-. रुपये की व्यवस्था कर सके तो उसके बेटे मोहिंदर सिंह को विदेश भेजा जा सकता है। मोहिंदर सिंह के पास पासपोर्ट था। आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने कई खाली फॉर्म और कागजों पर शिकायतकर्ता और मोहिंदर सिंह के हस्ताक्षर लेने के अलावा उक्त पासपोर्ट भी ले लिया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने विभिन्न अवसरों पर याचिकाकर्ताओं को 5,24,600/- रुपये दिये। इस राशि की व्यवस्था शिकायतकर्ता ने अपनी कृषि भूमि गिरवी रखने के अलावा अपने रिश्तेदारों से कुछ राशि उधार लेकर और अपने आभूषण बेचने के बाद की थी। यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने किसी सुशील दुग्गल के कुछ कागजात और पासपोर्ट जाली बनाए, जिस पर उन्होंने मोहिंदर सिंह की तस्वीर लगा दी। आरोपी ने वीजा की व्यवस्था की और शिकायतकर्ता को उसकी एक प्रति दे दी। जब शिकायतकर्ता को पता चला कि उक्त वीजा जाली है और जब उसने आरोपियों से इसके बारे में शिकायत की तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसके बेटे को जल्द से जल्द विदेश भेजा जाएगा, लेकिन आरोपी शिकायतकर्ता के बेटे को विदेश नहीं भेज सके और जब उसने विरोध किया तो याचिकाकर्ताओं ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और शिकायतकर्ता

के घर भी गए और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इन्हीं आरोपों पर शिकायत दर्ज कराई गई थी।

4. उपरोक्त शिकायत को मजिस्ट्रेट द्वारा संहिता की धारा 202 के तहत पुलिस को जांच भेजा गया था । SHO, पुलिस स्टेशन, खिजराबाद ने बताया कि पार्टियों के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन हुआ था, लेकिन शिकायत में कथित अपराध स्थापित नहीं हुआ था। इसके बाद, शिकायतकर्ता स्वयं अपने प्रारंभिक साक्ष्य में गवाह के रूप में पेश हुआ और मार्क-ए के रूप में सुशील दुग्गल के पासपोर्ट की रिकॉर्ड प्रति, वीज़ा की प्रतिलिपि मार्क-बी के रूप में और बंधक विलेख की प्रतिलिपि मार्क-सी के रूप में पेश की । न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद शिकायत को खारिज कर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ताओं ने उसे धोखा दिया था और उन्होंने कोई जालसाजी भी की थी। इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था। शिकायत को खारिज करते समय, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

"मामले के रिकॉर्ड को देखने से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता और दोनों आरोपियों ने एक-दूसरे से बात की थी क्योंकि जागीर सिंह का एक बेटा विदेश में था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दोनों आरोपियों ने उसे रुपये देने का लालच दिया था और उसके बेटे मोहिंदर सिंह को विदेश भेजने

के नाम पर 5,24,2000/- रुपये मांगे। उन्होंने पासपोर्ट ले लिया था और कोरे कागजों, दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए थे। इस तर्क के समर्थन में कोई सबूत नहीं है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता और/या उसके बेटे के हस्ताक्षर और पासपोर्ट प्राप्त किए थे। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने सुशील दुग्गल नामक व्यक्ति का जाली पासपोर्ट बनाकर शिकायतकर्ता को अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए दे दिया था। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने पासपोर्ट और वीजा ले लिया था लेकिन उसके बेटे को विदेश नहीं भेजा गया। यह निवेदन शिकायत के पैरा क्रमांक 8 में स्पष्ट रूप से किया गया है। यह शिकायतकर्ता द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है की पूरी तरह से अवगत होने के बावजूद भी उन्होंने पासपोर्ट और जाली वीजा दस्तावेज को स्वीकार किया था। शिकायत के पैरा क्रमांक 4 में शिकायतकर्ता ने उल्लेख किया है कि उसके बेटे का पासपोर्ट नंबर बी-1 14465/98 है, जबकि मार्क-ए के अवलोकन से पता चलता है कि उक्त पासपोर्ट की कॉपी एक सुशील दुग्गल की है और उसका नंबर B-0561010 है। यह मोहिंदर सिंह जैसा पासपोर्ट नहीं है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि शिकायतकर्ता के बेटे मोहिंदर सिंह को विदेश भेजने के लिए दोनों आरोपियों द्वारा पासपोर्ट मार्क-ए या वीजा मार्क-बी जाली गढ़ा था। यदि शिकायतकर्ता की बात पर विश्वास किया जाए तो शिकायतकर्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसे दोनों आरोपियों द्वारा की गई कूटरचना के बारे में पूरी जानकारी थी और उसने स्वेच्छा से जाली दस्तावेजों को स्वीकार किया है। इसलिए,

शिकायतकर्ता भी आरोपी के खिलाफ कोई दावा नहीं कर सकता है। किसी भी मामले में, शिकायतकर्ता यह दिखाने में विफल रहा है कि दोनों आरोपियों द्वारा कोई कुतरचना की गई है।

यहां तक कि, जांच के दौरान पुलिस द्वारा पूछताछ किए गए शिकायतकर्ता के गवाह से केवल यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता की पत्नी द्वारा मार्क-सी के तहत कृषि संपत्ति को गिरवी रखकर 2,50,00 रुपये की राशि . एकत्र की गई । यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि आरोपी को उक्त राशि का भुगतान किया गया था। पीडब्ल्यू-मेवा सिंह ने कहा है कि 4 जनवरी, 1999 को दोनों अभियुक्तों को 1,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था और उसके बाद। 10 जनवरी, 1999 को 1,50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। वर्ष 2001 में 1,24,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। बंधक विलेख मार्क-सी दिनांक 7 जनवरी, 1999 की है और उसके अनुसार श्रीमती करमजीत कौर द्वारा 2,50,00। यहां तक कि अगर यह मान लिया जाता है कि यह राशि दोनों अभियुक्तों को भुगतान की गई थी, तो 10 नवंबर, 1999 को केवल 10,000 रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। रुपये की राशि प्राप्त की गई थी। बची राशि 1,24,600 का दोनों आरोपियों को कथित तौर पर वर्ष 2001 में भुगतान किया

गया था। वास्तव में भुगतान को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। आरोपियों से भी पूछताछ की गई है और उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने (अनुसूची के अनुसार) नई दिल्ली में दिनेश कुमार नामक व्यक्ति से मिलवाया था, जो लोगों को विदेश भेजने के लिए एक एजेंट था। उक्त दिनेश कुमार के माध्यम से ही जागीर सिंह का पुत्र जर्मनी गया है। आरोपी का बयान अधिक प्रशंसनीय लगता है क्योकि आरोपी जगीर सिंह के बेटे के बारे में सुनने के बाद, शिकायतकर्ता को अपने बेटे को विदेश भेजने का मन हुआ। आरोपियों ने शिकायतकर्ता या उसके परिवार से भी कोई पैसा लेने से इनकार किया है और कहा कि अगर सौदा सही होता है तो भारी लेनदेन शायद ही कभी नकद में किया जाता। वर्तमान मामलों में भी, शिकायतकर्ता की स्वयं की स्वीकारोक्ति से, लेन-देन सीधे तौर पर नहीं किया गया था। यद्यपि। चाहे कूटरचना का इल्ज़ाम है, परंतु उसको सिद्ध नहीं किया गया है। अगर यह मान भी लिया जाए कि शिकायतकर्ता ने आरोपी को कुछ भुगतान किया था और अब वह उसे वसूल करना चाहता है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह मूल रूप से नागरिक प्रकृति का विवाद है और इसलिए, इस स्तर पर कोई आपराधिक दायित्व नहीं बनता है। किसी भी मामले में, शिकायतकर्ता यह साबित करने में

विफल रहा है कि आरोपियों ने उसे धोखा दिया है या उन्होंने कोई कूटरचना की है"।

5. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह आदेश अंतिम हो गया क्योंकि इस आदेश के विरुद्ध शिकायतकर्ता द्वारा कोई पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया था।

6. उपरोक्त शिकायत खारिज होने के बाद, 28.1.2004 को, प्रतिवादी नंबर 2 ने बिल्कुल उन्हीं आरोपों पर एक शिकायत पुलिस में दर्ज की। उक्त शिकायत के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस स्टेशन खिजराबाद, जिला यमुनानगर की पुलिस द्वारा धारा 420/406 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इस एफआईआर और पिछली शिकायत में आरोप शब्दशः समान है। यह भी स्पष्ट है कि शिकायत में, जिसको ध्यान में रखते हुए एफ़ आई आर दर्ज की गई है, भी प्रतिवादी नंबर 2 ने 15 फरवरी, 2003 के आदेश के तहत जेएमआईसी, जगाधरी द्वारा उक्त शिकायत को खारिज करने के साथ-साथ पहले की शिकायत दर्ज करने के तथ्य का खुलासा नहीं किया।

7. जांच के दौरान, पुलिस ने धनी राम, मेवा सिंह और महिंदर सिंह के बयान दर्ज किए, जिनके बयान को पुलिस ने पहले भी न्यायिक मजिस्ट्रेट को संहिता की धारा 202 के तहत एक रिपोर्ट पेश करते समय दर्ज किए थे । इन तीनों व्यक्तियों के बयानों और शिकायत के आधार पर, पुलिस

ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चालान पेश किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त रिपोर्ट और उसमें संलग्न सामग्री के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ । 29.9.2005 को धारा 420/406 आई.पी.सी. के तहत आरोप तय किया ।इस स्थिति में, याचिकाकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन, खिजराबाद, जिला यमुनानगर में धारा 420/406 आईपीसी के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 48 दिनांक 21.5.2004 को रद्द करने के साथ-साथ परिणामी कार्यवाही को रद्द करने के लिए यह याचिका दायर की है और आरोप लगाया है कि ये कार्यवाही न्यायालय की प्रक्रिया का एक दुरुपयोग है।

8. याचिकाकर्ताओं के वकील का तर्क है कि इस मामले में निर्विवाद रूप से पिछली शिकायत और इस एफआईआर में आरोप बिल्कुल समान हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ने पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ उनके द्वारा दिए गए प्रारंभिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि शिकायतकर्ता प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी और छल के आरोपों को साबित करने में विफल रही है। विद्वान वकील का कहना है कि उक्त शिकायत को संहिता की धारा 203 के तहत खारिज करने के बाद, , समान आरोपों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी, खासकर जब प्रतिवादी नंबर 2 ने अपनी दूसरी शिकायत के सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया था । विद्वान वकील का कहना है कि न केवल दोनों शिकायतों में आरोप एक जैसे हैं, बल्कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री/सबूत भी एक जैसे हैं। इसलिए,

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

उक्त सामग्री और आरोपों के आधार पर, न तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी और न ही कोर्ट को संज्ञान लेकर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करना चाहिए था। विद्वान वकील का कहना है कि जब न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 की शिकायत को खारिज करने का पारित आदेश अंतिम हो गया था और उक्त आदेश के खिलाफ कोई पुनरीक्षण दायर नहीं किया गया था, तो समान आरोपों और कार्रवाई के कारणों पर तत्काल एफआईआर पंजीकृत नहीं किया जाना चाहिए था और ऐसी कार्यवाही जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। विद्वान वकील का कहना है कि यदि किसी शिकायत को संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया जाता है, तो दूसरी शिकायत पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है, यानी, जहां पिछला आदेश अधूरे रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका था। वकील का तर्क है कि मौजूदा मामले में ऐसा नहीं है कि जेएमआईसी द्वारा पिछली शिकायत को खारिज करने वाला आदेश अधूरा आदेश था या उसे शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी के कारण पारित किया गया था या शिकायतकर्ता उचित परिश्रम के बावजूद संपूर्ण तथ्यों को रिकार्ड पर लाने में सक्षम नहीं हुआ। विद्वान वकील का कहना है कि दूसरी शिकायत में, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसमे कोई नया

तथ्य नहीं बताया गया था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आरोपों के समर्थन में कोई नई सामग्री या सबूत भी नहीं लाया गया। विद्वान वकील के अनुसार, दोनों समय के आरोप, सामग्री और सबूत बिल्कुल एक जैसे थे। वकील ने आगे तर्क दिया कि इस न्यायालय के पास एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां हैं जिसमे एफआईआर दर्ज करने और उस पर कार्यवाही जारी रखने के मामले में कार्यवाही को अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानकर उसे रद्द किया जा सकता है। अपनी दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के वकील ने **हरियाणा राज्य और अन्य** बनाम **चौधरी भजन लाल और अन्य** [1] पर निर्भर किया है। अपनी दलील के समर्थन में वकील ने **प्रमथ नाथ तालुकदार** बनाम **सरोज रंजन सरकार** [2] और **मेजर जनरल एएस गौराया और एक अन्य** बनाम **एसएन ठाकुर और एक अन्य**[3] मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और **जितेंद्र बजाज** बनाम **राज्य (यूटी चंडीगढ़) और अन्य** [4]के मामले में इस अदालत के एक फैसले पर भी निर्भर किया है.

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के वकील ने हालांकि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन जैसा कि ऊपर बताये गई इस मामले

---

[1] एआईआर 1992 एस.सी. 604

[2] एआईआर 1962 एस.सी. 876

[3] एआईआर 1986 एस.सी. 1440

[4] 2005 (3) आर.सी.आर. सी आर अल 69

तथ्यात्मक स्थिति को खारिज नहीं कर सके। विद्वान वकील का कहना है कि भले ही शिकायत संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दी गई हो, पुलिस शिकायतकर्ता द्वारा समान आरोपों पर की गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में सक्षम है।_उन्होंने आगे तर्क दिया कि जांच के दौरान पुलिस द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर, अदालत ने पहले ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था, इसलिए, इन परिस्थितियों में, एफआईआर के साथ-साथ आरोप के आदेश सहित, बाद की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता।

10. मैंने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलें सुनी हैं और पिछली शिकायत में जेएमआईसी, जगाधरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.2.2003 का अवलोकन कर लिया है, जिसमें उक्त शिकायत के साथ-साथ एफआईआर में लगाए गए आरोपों और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर जवाब को खारिज कर दिया गया है।

11. यह विवादित नहीं है कि पिछली शिकायत में आरोप, जिसे जेएमआईसी, जगाधरी ने खारिज कर दिया था, और बाद की शिकायत, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, शब्दशः वही हैं। यह भी विवादित नहीं है कि अगली शिकायत दर्ज करने के समय, प्रतिवादी नंबर 2 ने जेएमआईसी, जगाधरी द्वारा अपनी पिछली शिकायत को खारिज करने के तथ्य का खुलासा नहीं किया था। यह भी विवादित नहीं है कि जांच के दौरान और

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

एफआईआर में चालान जमा करने के दौरान, जांच केंद्र ने जेएमआईसी, जगाधरी द्वारा पिछली शिकायत को खारिज करने के आदेश को भी ध्यान में नहीं रखा है। जेएमआईसी, जगाधरी ने प्रतिवादी नंबर 2 की पिछली शिकायत को खारिज करते समय एक विस्तृत आदेश पारित किया, जिसकी प्रति इस याचिका के साथ अनुबंध पी-1 के रूप में संलग्न की गई है। मैंने उक्त आदेश का अवलोकन कर लिया है। उक्त आदेश जेएमआईसी द्वारा संहिता की धारा 202 के तहत मांगी गई पुलिस रिपोर्ट के साथ-साथ शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। आदेश से यह भी पता चलता है कि पहले भी पुलिस ने प्रारंभिक साक्ष्य में शिकायतकर्ता के बयान सहित सभी सामग्री पर विचार करने के बाद धनी राम, मेवा सिंह और महिंदर सिंह के साथ-साथ शिकायतकर्ता और अदालत के बयान भी दर्ज किए थे। और प्रस्तुत दस्तावेजों से यह निष्कर्ष निकला कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। अब विवादित एफआईआर की जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने उन्हीं व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप स्थापित हो गए हैं और इसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ चालान दायर करने का फैसला किया गया। मेरी राय में, उसी सामग्री और सबूतों पर, जांच एजेंसी जेएमआईसी की तुलना में एक अलग निष्कर्ष पर पहुंची है, जिसने शिकायत को यह मानते हुए खारिज कर दिया था कि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रही है कि आरोपी ने कथित

अपराध किया है। उक्त आदेश अंतिम हो गया था क्योंकि शिकायतकर्ता द्वारा पुनरीक्षण में इसे चुनौती नहीं दी गई थी। मेरी राय में, जब जेएमआईसी ने संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि शिकायत में लगाए गए आरोप और रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री धोखाधड़ी और छल के आरोप साबित नहीं करती है, तो दूसरी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों या सामग्री या साक्ष्य में कोई बदलाव किए बिना बिल्कुल उन्हीं आरोपों पर शिकायत करना, और ऐसी शिकायत पर एफआईआर दर्ज करना और चालान दाखिल करना और यहां तक कि उक्त सामग्री के आधार पर आरोप तय करना भी शामिल है, न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

12. **प्रमथ नाथ तालुकदार के मामले (सुप्रा) में,** सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक प्रश्न विचार के लिए आया कि यदि एक शिकायत को संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया गया था , तो क्या दूसरी शिकायत सुनवाई योग्य है। उक्त प्रश्न का उत्तर देते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

...आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी के आदेश के बावजूद समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत को स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इस को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही माना जाएगा, उदाहरण के लिए, जहां पिछला आदेश अधूरे रिकॉर्ड पर पारित किया गया हो

या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया हो या वह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण हो या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सके, हो।

13. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जतिंदर सिंह और अन्य बनाम रंजीत कौर (5) मामले में निम्नानुसार टिप्पणी की है::—

9. संहिता या किसी अन्य क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शिकायतकर्ता को उन्हीं आरोपों पर दूसरी शिकायत को प्राथमिकता देने से रोकता है यदि पहली शिकायत के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि या बरी या आरोप मुक्त नहीं हुआ हो। संहिता की धारा 300, जो दूसरे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाती है, में यह समझाने का ध्यान रखा गया है कि "किसी शिकायत को खारिज करना या आरोपी को आरोपमुक्त करना इस धारा के उद्देश्य के लिए बरी नहीं माना जाएगा।

हालांकि, जब एक मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 202 के तहत जांच करता है और गुण-दोष के आधार पर शिकायत को खारिज कर देता है, तो उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों। फिर भी, दूसरी शिकायत की अनुमति इस बात पर निर्भर कार्टू है कि शिकायत को पहली बार में कैसे खारिज कर दिया गया था।

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

10. xxx

11. xxx

12. यदि शिकायत को खारिज करना योग्यता के आधार पर नहीं था, बल्कि शिकायतकर्ता की उपस्थित ना होने पर था, तो शिकायतकर्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट के पास जाने पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यदि संहिता की धारा 203 के तहत शिकायत को गुण-दोष के आधार पर खारिज करना किया गया है तो स्थिति भिन्न हो सकती है। पहले इस बात पर मतभेद था कि जब बर्खास्तगी धारा 203 के तहत थी तो क्या दूसरी शिकायत दर्ज की जा सकती थी । प्रेमथा नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन[5] सरकार मामले में इस न्यायालय द्वारा विवाद का निपटारा किया गया था । तीन न्यायाधीशों की पीठ के ने इस प्रकार कहा (पैरा 48):

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत बर्खास्तगी के आदेश के बावजूद समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत को स्वीकार करने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इस को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही माना जाएगा, उदाहरण के लिए, जहां पिछला आदेश अधूरे रिकॉर्ड पर पारित किया गया

[5] ए आई आर 2001 एस सी 784.

हो या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया हो या वह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण या मूर्खतापूर्ण हो या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सके, हो। यह न्याय के हित में नहीं कहा जा सकता है कि शिकायतकर्ता के मामले पर, पूर्ण विचार करने के बाद उसके खिलाफ निर्णय दिए जाने के बाद, उसे या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी शिकायत की जांच करने का एक और मौका दिया जाना चाहिए।

माननीय न्यायमूर्ति एस.के. दास, (जैसा कि वह तब थे) ने उक्त बहुमत के दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए यह रुख अपनाया था कि दूसरी शिकायत दर्ज करने के अधिकार को इस तरह के विचारों से भी बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी दर पर, बहुमत का विचार यह है कि यदि पहली शिकायत योग्यता के आधार पर ख़ारिज नहीं हुई तो दूसरी शिकायत कायम रहेगी।

14. इसी तरह का दृष्टिकोण माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महेश चंद बनाम बी. जनार्दन रेड्डी और अन्य**[6] में लिया था जिसका निम्नानुसार अवलोकन करते हुए कहा:

> स्थापित कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही नहीं था कि दूसरी

[6] (2003) 1 एस सी सी 734.

शिकायत पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। यह स्थापित कानून है कि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई वैधानिक रोक नहीं है। अगर पिछली शिकायत बिना कोई कारण बताए खारिज कर दी जाती है, तो सीआरपीसी की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले सकता है और कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार होने पर प्रक्रिया जारी कर सकता है। जैसा कि **प्रमथ नाथ तालुकदार** मामले में कहा गया है, इस मामले पर पूर्ण विचार करने पर पिछले मामले में शिकायतकर्ता के खिलाफ निर्णय दिए जाने के बाद दूसरी शिकायत को खारिज किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है, अर्थात्, जहां पिछला आदेश अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के बावजूद, पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता था। इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस मामले को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के उद्देश्य से, विद्वान मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया जाना चाहिए था कि

क्या कथित अपराध के संज्ञान के लिए कोई मामला बनाया गया था या नहीं।

15. इसी तरह **पूनम चंद जैन और एक अन्य** बनाम **फजरू मामले** [7] में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था कि समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने में कोई वैधानिक रोक नहीं है। अगर पिछली शिकायत बिना कोई कारण बताए खारिज कर दी जाती है, तो संहिता की धारा 204 के तहत मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है और कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार होने पर प्रक्रिया जारी कर सकता है। लेकिन उन्हीं तथ्यों पर दूसरी शिकायत पर केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचार किया जा सकता है, अर्थात्, जहां पिछला आदेश अपूर्ण रिकॉर्ड पर या शिकायत की प्रकृति की गलतफहमी पर पारित किया गया था या यह स्पष्ट रूप से बेतुका, अन्यायपूर्ण था या जहां नए तथ्य जो उचित परिश्रम के साथ पिछली कार्यवाही में रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता था।

16. इसलिए, उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से तय है कि दूसरी शिकायत पर रोक नहीं लगाया जा सकता जहां मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया हो और इसे असाधारण परिस्थितियों में दायर किया जा सकता है। दूसरी शिकायत पर विचार करने के लिए असाधारण परिस्थितियों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में डाला गया है:—

---

[7] 2005 एस सी सी (सी आर आई) 190.

1. प्रकट त्रुटि;
2. न्याय का स्पष्ट दुरुपयोग; और
3. नए तथ्य, जिनके बारे में शिकायतकर्ता को जानकारी थी, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा पिछली कार्यवाही में उचित परिश्रम के साथ रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका।

ऐसी स्थिति में, मजिस्ट्रेट उन्हीं आरोपों पर दूसरी शिकायत पर विचार कर सकता है, भले ही पहले की शिकायत संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दी गई थी।

17. इस प्रकार, समान आरोपों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने और विचार करने के संबंध में उपरोक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दूसरी शिकायत पर भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं किया जा सकता था। यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट को इन तथ्यों के आधार पर दूसरी शिकायत पर विचार करने से रोक दिया गया है, तो मेरी राय में, ठीक उसी आरोप के साथ ऐसी शिकायत के आधार पर, पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती थी और अदालत को उक्त एफआईआर में पुलिस द्वारा दायर चालान पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, एफआईआर दर्ज करना और उस पर परिणामी कार्यवाही, मेरी राय में, पूरी तरह से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

18.इस विवाद को दूसरे नजरिए से देखा जा सकता है। अध्याय XII के अंतर्गत आने वाली संहिता की धारा 156 संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति से संबंधित है। अध्याय XV में निहित संहिता की धारा 202 में परिकल्पित जांच, संहिता की धारा 156 के तहत विचारकी गई जांच से अलग है। अध्याय XII में उल्लिखित जांच, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी पुलिस द्वारा शुरू की जा सकती है। संहिता की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध के पंजीकरण और जांच का आदेश देने का अधिकार भी दिया गया है। हालांकि, संहिता की धारा 156 के तहत पुलिस द्वारा की गई जांच या संहिता की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर उसके द्वारा की गई जांच में कोई अंतर नहीं होगा। यदि मजिस्ट्रेट को शिकायत की जाती है, तो यह मजिस्ट्रेट पर निर्भर करता है कि वह संहिता की धारा 156 (3) के तहत मामले के पंजीकरण और जांच के लिए आदेश दे या अपराध का संज्ञान ले और संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करे। एक बार जब कोई मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले लेता है, तो उसे संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का पालन करना होता है यानी संहिता की धारा 202 के तहत निर्धारित प्रक्रिया, के तहत वह स्वयं मामले में जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जांच करने का निर्देश दे सकता है जो वह उचित समझता है और यह तय करता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। इस धारा में उल्लिखित

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

पुलिस द्वारा की गई जांच सीमित प्रकृति की है। इस तरह की जांच केवल मजिस्ट्रेट को यह तय करने में मदद करने के लिए है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं या नहीं। संहिता की धारा 202 के तहत जांच का आदेश,. संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश देने से अलग है। संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच का आदेश केवल तभी दिया जा सकता है जब मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर संज्ञान नहीं लेने का फैसला करता है और ना ही संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है, वह संहिता की धारा 156 (3) के तहत जांच और मामले के पंजीकरण का आदेश नहीं दे सकता है।

19. इस मामले में, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर पूर्व शिकायत पर, न केवल मजिस्ट्रेट ने अपराध का संज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने संहिता के अध्याय XV में परिकल्पित प्रक्रिया का भी पालन किया। उन्होंने संहिता की धारा 202 (1) के तहत पुलिस रिपोर्ट मांगी और शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य भी दर्ज किए। इसके बाद, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं थे क्योंकि शिकायतकर्ता यह साबित करने में विफल रहा था कि आरोपी ने कथित अपराध किया है। ऐसी स्थिति में तो, मजिस्ट्रेट के पास भी संहिता की धारा 156 (3) के तहत शिकायत को जांच और मामले के पंजीकरण के लिए संदर्भित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि यही स्थिति है, तो इसी तरह के आरोपों पर पुलिस संहिता की धारा 156 के तहत मामला कैसे दर्ज कर सकती है और

मामले की जांच कर सकती है, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि उन्हीं आरोपों और उसी सामग्री से, प्रथम दृष्टया एक संज्ञेय अपराध का पता चला है।

20.**आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य**[8] मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के दायरे को निर्धारित करते हुए निम्नानुसार माना है::—

> "यदि विचाराधीन आपराधिक कार्यवाही किसी आरोपी व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध के संबंध में है और यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि मामले में आगे बढ़ने में और उक्त कार्यवाही को जारी रखने में कानूनी रोक है तो उस आधार पर कार्यवाही को रद्द करना उच्च न्यायालय के लिए उचित होगा।

इस प्रकार, मेरी राय में, मामले में एफआईआर दर्ज करना और इसके परिणामस्वरूप कार्यवाही करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

21.पूर्वगामी कारणों से, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 21 मई, 2004 को पुलिस स्टेशन खिजराबाद, जिला यमुना नगर में आईपीसी की धारा 420/406 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 48 और साथ ही इसके परिणामस्वरूप होने वाली कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

---

[8] ए आई आर 1980 एस सी 866.

जागीर सिंह और अन्य बनाम **हरियाणा राज्य और अन्य**

माननीय न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा